न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 1330/2017

प्रार्थीगण :–

1. सीतादेवी पत्नि जेठाराम
2. डूंगरराम पुत्र पुखराज
3. रूपाराम पुत्र पुखराज
4. डावरसिंह पुत्र पुखराज

सभी जातियान माली निवासीगण पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जि. जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सुनिल पुत्र शिवकरण
2. सीमा पुत्री शिवकरण
3. सुमन पुत्री शिवकरण
4. गीतादेवी पत्नि शिवकरण
5. शांतिदेवी पुत्री मोहनलाल
6. नथमल पुत्र मोहनलाल
7. तारादेवी पत्नि पुसाराम
8. महेन्द्र पुत्र पुसाराम
9. दिलीप पुत्र पुसाराम
10. सुशिला पुत्री पुसाराम
11. तीला पुत्री पुसाराम
12. बचनाराम पुत्र नेनाराम फौत के कायम मुकाम :–

12/1 गायत्री पुत्री स्व. बचनाराम
12/2 सावित्री पुत्री स्व. बचनाराम
12/3 सरस्वती पुत्री स्व. बचनाराम
12/4 किशन पुत्र स्व. बचनाराम
12/5 अर्जुन पुत्र स्व. बचनाराम

13. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री रामदयाल चौधरी प्रार्थीगण की ओर से
श्री मंसूर अली अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 28.11.2019

उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2016 को निर्णय पारित किया गया । जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के यहां प्रस्तुत की गयी । जो अपील सं. 41/2017 दिनांक 29.08.2017 को निर्णित हुयी व इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.10.2016 को निरस्त कर पत्रावली पुनः इस न्यायालय को सुनवाई कर आदेश पारित करने निर्देश देते हुए अपील का निस्तारण किया गया । माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार पत्रावली को नम्बर पर लिया जाकर पुनः सुनवाई की गयी ।

प्रार्थीगण ने मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि कस्बा पीपाड़ शहर में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2055 व 2058

अधिकारी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

स्थित है । जिसमें आने जाने का कोई रास्ता नही है व प्रार्थीगण खसरा नम्बर 2055 व 2058 में अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2049 व 2056 की मध्य माठ से होते हुए आते व जाते है व इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा खसरा नम्बर 2049 व 2056 की मध्य माठ से 30 फीट चौड़े रास्ते की मांग की है ।

अप्रार्थीगण ने मुख्य रूप से अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकन किया कि खसरा नम्बर 2049 व 2056 की मध्य माठ से कोई भी रास्ता खसरा नम्बर 2055 व 2058 तक नही पहुचतां है व खसरा नम्बर 2049 व 2056 की मध्य माठ खसरानम्बर 2050 के लगती है इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खसरो से रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित नही है तथा प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 2055 व 2058 में खेत खसरा नम्बर 2053, 2054 में से होकर जाते है व प्रार्थना पत्र खारिज करने की मांग की है ।

न्यायालय द्वारा प्रकरण पुराना होने से व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय अनुसार उचित न्याय निर्णयन के लिए खसरा नम्बर 2055 व 2058 तक आवागमन हेतु नजदीकी वैकल्पिक रास्ता कौनसा हैं तथा क्या खसरा नम्बर 2049 व 2056 की मध्य माठ से मौके पर खसरा नम्बर 2055 व 2058 में पहुचां जा सकता है या नही इस हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी जो तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा दिनांक 31.10.2019 को न्यायालय में प्रस्तुत की गयी ।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था व पूर्व में मौका कमिश्नरो रिपोर्टो में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2055 व 2058 में पहुचने के लिए खसरा नम्बर 2049 व 2056 की मध्य माठ से रास्ता बताया गया है व राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 2049 व 2056 की मध्य माठ से रास्ता खसरा नम्बर 2055 व 2058 में पहुचता है राजस्व नक्शे में तरमीम गलत होने से नक्शे में नही पहुचता है व प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 2049 से 2056 की मध्य माठ से रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया है ।

अधिकारी
(...जोधपुर)

Scanned by CamScanner

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा इसी न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.10.2016 को अपास्त कर दिया गया है तथा प्रकरण में पुनः सुनवाई के आदेश दिये है तथा मौके पर खसरा नम्बर 2049 व 2056 की मध्य माठ से खसरा नम्बर 2055 व 2058 तक कोई रास्ता नही जाता है व मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 31.10.2019 के अनुसार भी खसरा नम्बर 2055 व 2058 में रास्ता खसरा नम्बर 2056 व 2057 की मध्य माठ से मार्क क, ख दर्शाया है जो 234 वर्ग गट्ठा है तथा खसरा नम्बर 2053, 2054/2 व 2054/3 में से मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ रास्ता बताया है जो 210 वर्ग गट्ठा है इस प्रकार अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2049 व 2056 की मध्य माठ से कोई रास्ता नही है व अन्य खेतो से जो रास्ते दर्शाये गये है उन्हे प्रार्थीगण ने पक्षकार नही बनाया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है ।

न्यायालय द्वारा बहस वकुलाय सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील सं. 41/2017 निर्णय दिनांक 29.08.2017 का ससम्मान अवलोकन किया ।

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन रहा है कि खसरा नम्बर 2049 व 2056 की मध्य माठ से रास्ता खसरा नम्बर 2055 व 2058 तक मौके पर जाता है लेकिन राजस्व रेकर्ड में नक्शा में तरमीम गलत होने से दर्शित नही होता है व राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय द्वारा भी यही निर्देश दिया गया कि मौके पर खसरा नम्बर 2049 व 2056 की मध्य माठ से मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 2055 व 2058 तक पहुचंता है या नही इसकी पुष्ठि करते हुए निर्णय पारित किया जाना है । इसके सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा उचित न्याय निर्णयन के लिए तहसीलदार पीपाड़ शहर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर दिनांक 31.10.2019 को तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट पेश की गयी । जिसका अवलोकन किया गया, मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 2049 व 2056 की मध्य माठ से रास्ता खसरा नम्बर 2050 को लगता है तथा खसरा नम्बर 2055 व 2058 तक मौके पर नही पहुचंता है तथा

...खण्ड अधिकारी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

मौका कमिश्नर ने खसरा नम्बर 2055 व 2058 तक पहुचने के लिए खसरानम्बर 2056 व 2057 की मध्य मात से रास्ता मार्क क व ख दर्शाया है जो 234 वर्ग गट्ठा है व दूसरा वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 2053, 2054/2 व 2054/3 मेंसे मार्क ए बी सी डी ई एफ बताया है जो 210 वर्ग गट्ठा है तथा वैकल्पिक रास्ता जहां दर्शाया गया है उनके खातेदारो को भी प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 2055 व 2058 में आने जाने हेतु सुलभतम एवं निकटतम रास्ता खसरानम्बर 2056 में से ही दिया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थीगण के खेत ख.न. 2055 व 2058 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत ख.न. 2056 में प्रस्तुत कश्मिनर रिपोर्ट में दर्शायें लाल स्याही से दर्शाये बिन्दु क से ख रास्ते की 11 बिस्वा 14 बिस्वांसी (0.04947) हैक्टयर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है। ग्राम पीपाड़ शहर के ख.न. 2056 में 11 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि की मालियत अनुसार प्रति हैक्टयर कीमत 2349049/- रू है। रास्ते के काम आई भूमि 11 बिस्वा 14 बिस्वांसी बीघा भूमि की कीमत 222454/- रू बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगनी कीमत 444908/- रू बनती है। मौका कश्मिनर रिपोर्ट,मौका फर्द व नजरी नक्शा निर्णय का अंग समझा जावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से 444908/- रू का चैक/डीडी प्राप्त कर अप्रार्थीगण जिनकी भूमि रास्ते के उपयोग में ली गयी उन खातेदारो को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम कर रास्ता खुलवाया जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner